न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 97/2025 बउनवानी मनोज कुमार बनाम उपजिला कलेक्टर बामनवास

GCMS No-2025/ 240

Appeal Number- 321239084028980

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
17.9.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 15.7.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बामनवास को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " ***ग्राम अमावरा तहसील बामनवास के ख0न0 4471/5083 गै0मु0 रास्ता पर किये गये अवैद्य कब्जे को हटाने के संबंध मे की गयी कार्यवाही को कुल 4 बिन्दुओ की प्रमाणित प्रतिलिप*** " उपजिला कलेक्टर बामनवास से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बामनवास को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बामनवास के पत्रांक पत्रांक आरटीआई /2025/2343–44 दिनांक 25.8.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि चाही गयी सूचना का संबंध मे तहसीलदार बामनवास से होने के कारण अपीलान्ट का आवेदन पत्र उपजिला कलेक्टर बामनवास द्वारा जरिये पत्रांक 2342 दिनांक 25.8.2025 से तहसीलदार बामनवास को भिजवाया गया किन्तु वांछित सूचना का संबंध नायब तहसीलदार भावंरा से होने के कारण उक्त आवेदन पत्र तहसीलदार बामनवास के पत्रांक 70 दिनांक 26.8.2025 से नायब तहसीलदार भावंरा को अन्तरित कर वांछित सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवाने बाबत लिखा जाने पर नायब तहसीलदार भावंरा के पत्रांक राजस्व/2025/253 दिनांक 26.8.2025 से अपीलान्ट को कुल 13 पेजो की सूचना उपलब्ध करवायी जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 15.7.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी नायब तहसीलदार भावंरा के पत्रांक 253 दिनांक 26.8.2025 द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) ज़िला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner